39

समक्षः– न्यायालय राजस्व मण्ड़ल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क. /17 निगरानी II/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/6194

1 रईस बैग उर्फ चिक्कू कबाड़ी पुत्र सप्पू बैग उम्र 34 वर्ष जाति मुसलमान व्यवसाय दुकानदारी निवासी बड़ा इमाम बाड़ा श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

2 असलम मिर्जा पुत्र बाबू मिर्जा निवासी छारबाग टीला श्योपुर म.प्र.

3 याकूब अंसारी पुत्र रमजानी असांरी निवासी किला वार्ड न. 1 श्योपुर म.प्र.

.......निगरानीकर्तागण

दिनांक 19-12-17 को श्री सुरेश कुशवाह अभि० द्वारा प्रस्तुत।
19-12-17
SO
पे० दि० 12-1-18

बनाम

1 जलालुद्दीन पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी पापूजी मोहल्ला श्योपुर म.प्र.

.......प्रत्यर्थी

2 नजम पुत्र नाजिम खॉ निवासी किला वार्ड नं. 1 किला श्योपुर म.प्र.

3 अब्दुल्ला असांरी पुत्र इस्माइल अंसारी निवासी किला वार्ड न. 1 श्योपुर म.प्र.

4 हमीद बैग उर्फ भोला कबाड़ी पुत्र सप्पू मिर्जा निवासी बड़ा इमाम बाड़ा श्योपुर म.प्र.

5 अययूब खॉ पुत्र लतीफ खॉ निवासी पुरानी अनाज मण्ड़ी के पीछे श्योपुर म.प्र.

6 कययूम खॉ पुत्र लतीफ खॉ निवासी अनाज मण्ड़ी के पीछे श्योपुर म.प्र.

..........तरतीवी पक्षकार

...अधिनियम 1995 मे प्रर्दश
...जा पूरी तरह अनुचित है क्यो कि किसी भी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व सहिंता 1959 विरूद्व न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल सभांग मुरैना द्वारा प्र.क. 124/17–18 अपील रईस बैग बनाम जलालुद्वीन मे पारित आदेश दिनांक 24.11.17

मान्यवर महोदय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मठेपुरा की भूमि सर्वे न. 27/8 पर वक्फ कमेटी द्वारा निर्मित 13 दुकानो मे से 3 दुकानो मे आवेदकगण बहेसियत किरायेदार आबाद चले आ रहै है आवेदकगण निरतंर 500/रू मासिक किराया अदा कर रहे है अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा वक्फ अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत अपने आप को म.प्र.वक्फ बोर्ड भौपाल का मुख्य कार्यपालन अधिकारी मानते हुवे प्र.क्र. 2/15–16 अं 68 मे पारित आदेश दिनांक 20.6.16 से अपीलाण्ट की किरायेदारी वाली दुकानो को राजसात कर बेदखल करने के आदेश पारित किये गये थे जिसके विरूद्व आवेदकगण ने प्रथम अपील कलेक्टर जिला श्योपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो प्र.क्र. 3/16–17 अपील राजस्व पर दर्ज कर दिनांक 27.9.17 को आदेश पारित करते हुवे अपील निरस्त कर अधिनस्थ अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के आदेश को बहाल रखा जिसके विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त चम्बल सभांग मुरैना के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्र. क. 124/17–18 पर दर्ज कर दिनांक 24.11.17 को आदेश पारित करते हुवे आवेदकगण की अपील निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी श्योपर का आदेश दिनांक 20.6.16 बहाल रखा गया जिससे व्यथित होकर हस्ब जेल आधारो पर यह निगरानी पेश है।

निगरानी के आधार

1. यह कि अधिनस्थ तीनो न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एंव विधान के विपरित होकर निरस्त होने योग्य है।
2. यह कि प्रश्नाधीन आदेश के सम्बंध मे मुख्य विधिक प्रश्न अधिनस्थ विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के न्यायालयीन क्षेत्राधिकार को लेकर है जिसमें एस.डी.औ श्योपुर ने अपने आप को मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.वक्फ बोर्ड भौपाल मानते हुवे धारा 54 वक्फ अधिनियम 1995 मे प्रर्दश शक्तियो का प्रयोग किया है जो पूरी तरह अनुचित है क्यो कि किसी भी

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / मुरैना / भू.रा / 2017 / 6194

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
4-4-18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवाह उपस्थित। अनावेदक केवियेटकर्ता अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 124 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.11.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–उभयपक्ष के अधिवक्तागण निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.11.17 में पैरा लेख किया गया है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.9.17 में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गयार है कि अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रषित जांच प्रतिवेदन एवं पूर्व में प्रेषित जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख से प्रमाणित है कि भूमि माफी धर्मादा की होकर धर्मस्व विभाग की है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्योपुर के आदेश दिनांक 20.6.16 की कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पुष्टि की गई है और उसी आदेश को अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखा गया है। **न्याय दृष्टांत 1994 राजस्व निर्णय 305**	

पार्वती देवीविरूद्व सत्यनारायण " माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभि निर्धारित किया है कि " तथ्यात्मक समवर्ती निष्कर्ष द्वितीय अपीलय कोर्ट में हस्तक्षेप योग्य नहीं" । इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

3–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 124/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 24.11.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य